

प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठानिक विद्या परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या - प्रतिष्ठा/परिषद/सम्बद्धता/2022/9755

संलग्नक दिनांक: 19/10/2022

प्रस्तावना:

अखिल भारतीय राजकीय विद्या परिषद, नई दिल्ली-राजकीय सार्वजनिक और इंग्लिश, नई दिल्ली द्वारा सैटिक सत्र 2022-23 हेतु द्वितीय आर्यय राजकीय विद्या संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रतिष्ठानिक विद्या परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 22.10.2022 को परिषद सर्वतोष से सम्बद्धता समिति को बैठक कायम हुई। बैठक में सर्वतोष द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदन नई संस्थानों को सम्बद्धता पूर्व से सर्वतोष संस्थानों को सम्बद्धता विचार प्रदान करने का प्रस्ताव पेश किया गया। परिषद में विचार करने हेतु सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विचार करने के लिए के अनुसार में निम्न संस्थान को प्रतिष्ठानिक विद्या परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता एवं प्रस्ताव अखिल प्रदेश द्वारा हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 1260-ANJUMAN A ASHRAF PHARMACY COLLEGE

क्रमिक	संस्था का नाम	संस्था की स्थापना दिनांक द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदन प्रदान करना	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदन प्रदान करना
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था सार्वजनिक/राजकीय/अर्ध-राजकीय द्वारा निर्मित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रतिष्ठानिक विद्या परिषद एन 1962 तथा प्रतिष्ठानिक विद्या परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, कोडिफाई विनियमवली-2016 तथा संस्था-संस्था पर निर्दिष्ट प्रावधानों को का अनुपालन करेगी तथा पूर्णतः निर्धारित समिति द्वारा निर्दिष्ट शुल्क और सभी इतर प्रावधानों हेतु सत्र 20150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिये प्रारम्भिक प्रारम्भ हेतु सत्र- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र दो वर्षों प्रारम्भिक (दो वर्षों के लिये प्रारम्भिक प्रारम्भ के अतिरिक्त) हेतु सत्र-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रारम्भिक प्रारम्भ से प्राप्त किया जायेगा। प्रारम्भिक के अतिरिक्त प्रारम्भिक प्रारम्भ से शुल्क के अलावा में संस्था-संस्था पर संस्था द्वारा निर्मित किये जाने वाले प्रावधानों का पालन होगा, और अनुपालन करानेवाली किया जायेगा आवश्यक होगा। सभी निर्धारित समिति द्वारा पेश सत्र 2022-23 हेतु प्रारम्भ का पूर्णतः पालन किया जायेगा, जो प्रारम्भ की प्रारम्भिक पर लागू होगी।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रारम्भिक प्रारम्भिक द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने की ही प्रारम्भिक दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को संस्था-संस्था पर निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता शुल्क प्राप्त करना होगा।

09/08/2021

दिनांक: 09/08/2021

पृ०स०- प्राशिकापरिषद् सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्रतिनिधि -

प्रधानाचार्य/निदेशक ANJUMAN A ASHRAF PHARMACY COLLEGE, VILL-BASI SANSOLI POST-SIHALI
JAGIR, TEHSIL-HASANPUR, AMROHA, J P NAGAR-244241



(सुनील कुमार सौजकर)

सचिव

It was then...
...
...

- ✓ ...
...
- ✓ ...
...
- ✓ ...
...
- ✓ ...
...
- ✓ ...
...
- ✓ ...
...
- ✓ ...
...
- ✓ ...
...
- ✓ ...
...
- ✓ ...
...
- ✓ ...
...
- ✓ ...
...
- ✓ ...
...
- ✓ ...
...
- ✓ ...
...

(for signature only)
Date

पुणे - विशेष/दीर्घ कायदा/२०१७/ १९२-१९१ तह दिनांक: ११-०९-२०१७
अतिरिक्त-सहायक/विभाग, मुंबई व उपाय कमीची शिकव, शिकव-सुद्धे सुद्धे
 को-शिकव सुद्धे, को-शिकव सुद्धे, सुद्धे सुद्धे

(for signature only)
Date